भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2180

जिसका उत्तर गुरुवार, 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

विभिन्न न्यायालयों में दीवानी और फौजदारी के लंबित मामले

2180 श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों सहित विभिन्न न्यायालयों में दीवानी और फौजदारी प्रकृति के लंबित मामलों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इनमें से प्रत्येक अदालत में पांच साल से कम, पांच से दस साल और दस साल से अधिक की श्रेणियों में लंबित मामलों की संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या सरकार द्वारा इन मामलों के निपटान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कोई उपाय किए गए हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार 02.08.2022 तक भारत के उच्चत न्यायालय में लंबित मामलों की कुल संख्या 71,411 है जिनमें से 56,365 सिविल मामलें है और 15,076 आपराधिक मामले हैं।

देश में उच्च न्यायालयों और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में सिविल और आपराधिक मामलों के लंबित मामलों की कुल संख्या **उपाबंध-1 और उपाबंध-2** में क्रमशः दी गई हैः-

(ख) : भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार 02.08.2022 तक भारत के उच्चतम न्यायालय में पिछले पांच वर्ष, पांच से 10 वर्ष के बीच और 10 वर्ष से अधिक अवधि से लंबित मामलों की संख्या निम्नलिखित हैः-

लंबित मामलों के मानदंड़	लंबित मामलों की संख्या
पांच वर्ष से कम	42,816
5 से 10 वर्ष के बीच	18,134
10 वर्ष से अधिक	10,491

देश में उच्च न्यायालयों और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में, पिछले पांच वर्ष, पांच से दस वर्ष के बीच और दस वर्ष से अधिक अवधि से लंबित पड़े मामलों की संख्या **उपाबंध-3** और **उपाबंध-4** पर क्रमशः हैं ।

(ग) और (घ) : न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटान कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद और भौतिक अवसंरचना, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग अर्थात बार, अन्वेषण अभिकरण,साक्षियों और वादियों और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित हैं। कई अन्य कारक हैं जो मामलों के निपटान में देरी का कारण बन सकते हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बार-बार स्थगन और सुनवाई के लिए निगरानी, ट्रैक और बहु मामलों की पर्याप्त व्यवस्था की कमी सम्मिलित हैं। केंद्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटान और लंबित मामलों को कम करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक ईको प्रणाली प्रदान करने के लिए कई पहलों को अपनाया है।

राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में प्रणाली में विलंब और बकाया में कमी करके पहुंच में वृद्धि करने और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा और संरचना परिवर्तन के माध्यम से जवाबदेहीता को बढाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ की गई थी । मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन के लिए एक समन्वय दृष्टिकोण का

अनुसरण कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ, न्यायालयों की बेहतर अवसंरचना अंतर्वलित है जिसके अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेंबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पुर्नगठन और मानव संसाधन विकास पर जोर देना भी सम्मिलित है ।

विभिन्न पहलों के अधीन पिछले आठ वर्षों के दौरान मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार हैं–

(i) <u>जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार:-</u> 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आज की तारीख तक 9013.21 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं । इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से तारीख 30.06.2022 तक बढ़कर 20,993 हो चुकी है और तारीख 30.06.2014 को आवासीय इकाईयों की संख्या 10,211 से बढ़कर तारीख 30.06.2022 तक 18,502 हो चुकी है । इसके अतिरिक्त 2,677 न्यायालय हाल और 1,659 आवासी इकाईयां(न्याय विकास पोर्टल के अनुसार) निर्माणाधीन हैं । न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम को 9,000 करोड़ रु.की कुल लागत पर 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें से केंद्रीय हिस्सा 5,307 करोड़ रु. होगा । न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयों के निर्माण के अतिरिक्त, इसमें वकील हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर रूम का निर्माण भी सम्मिलित होगा।

(ii) <u>सुधार की गई न्याय के परिदान के लिए सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी (आई सी टी) का प्रभावन</u> :- सरकार ने जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को परिचालन योग्य बनाने के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी के लिए संपूर्ण देश में ई-न्यायालय मिशन पद्धति परियोजना को क्रियान्वित किया है। अब तक कम्प्यूटरीकृत जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या बढ़कर 18,735 हो गई है। 99.3% न्यायालय परिसरों को वैन की संयोजिता प्रदान की गई है। मामला सूचना सॉफ्टवेयर के नए और प्रयोक्ता-अनुकूलन पार्ट को विकसित किया गया है और सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में नियोजित किया गया है । सभी पणधारी जिसके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी है, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) कंम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधी जानकारी तक पहुंच बना सकते

हैं । 04.07.2022 तक, वादकारी इन न्यायालयों से संबंधित 20.86 करोड़ से अधिक मामलों की प्रास्थिति और 18.02 करोड़ आदेश/निर्णय तक पहुँच बना सकते हैं। ई-न्यायालय सेवाएं, जैसे वादकारीयों और अधिवक्ताओं के लिए सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश एण्ड पुल सर्विस में ई न्यायालय पोर्टल, न्यायिक सेवा केन्द्रों (जेएससी) के माध्यम से ई-न्यायालय सेवाऐं, जैसे मामला रजिस्टर करने, मामला सूची, मामले की प्रास्थिति, दैनिक आदेशों और अंतिम निर्णयों के ब्यौरे उपलब्ध हैं । वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से 3240 न्यायालय परिसर तथा 1272 तत्स्थानी कारावासों को समर्थ बनाया गया है। कोविड- 19 चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभालने और वर्चुअल सुनवाई को सुचारू बनाने के उद्देश्य से, निर्णय/आदेश प्राप्त करने ,जानकारी और ई फाइलिंग प्रसुविधा से संबंधित न्यायालय/मामले प्राप्त करने से सहायता की आवश्यकता के लिए वकीलों और वादकारियों को न्यायालय परिसरों में 500 ई-सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है ।वर्चुअल सुनवाई को सुकर बनाने के लिए विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केबिन में उपस्कर प्रदान करने के लिए 5.01रु. करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विभिन्न न्यायालय परिसरों में ई फाइलिंग के लिए 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों को 12.12 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

16 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में यातायात अपराधों को कम करने की कोशिश करने के लिए बीस वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 03.03.2022 तक, इन न्यायालयों ने 1.69 करोड़ से अधिक मामलों को संभाला है और 271.48 करोड़ रुपए के जुर्माना से अधिक की वसूली की है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान न्यायालयों के मुख्य आधार के रूप में उभरा क्योंकि भौतिक सुनवाई और सामूहिक मोड में सामान्य न्यायालय की कार्यवाही संभव नहीं थी। जब से कोविड लॉकडाउन शुरू हुआ, जिला न्यायालयों ने 1,28,76,549 मामलों की सुनवाई की, जबकि उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके 30.04.2022 तक 63,76,561 मामलों (कुल 1.92 करोड़) की सुनवाई की। 13.06.2022 तक लॉकडाउन अवधि से उच्चतम न्यायालय में 2,61,338 सुनवाई हुई।

(iii) <u>उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को भरना</u> :- 01.05.2014 से 15.07.2022 तक उच्चतम न्यायालय में 46

न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी । उच्च न्यायालयों में 769 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 619 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए। मई 2014 में उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1108 हो गई । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई है :

निम्नलिखित तारीख तक	स्वीकृत संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
22.07.2022	24,631	19288

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरा जाना संबद्ध राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आता है ।

(iv) बकाया समिति द्वारा अपनाए गए/उसके माध्यम से लंबित मामलों में कमी : अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए उच्च न्यायालय समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कदम विरचित करने के लिए एक बकाया मामला समिति का गठन किया है। पूर्व में, विधि और न्याय मंत्री ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के साथ पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों पर ध्यान आकर्षित करने और लंबित मामलों को कम करने का अभियान चलाने के लिए मामला उठाया है। विभाग ने मलीमथ समिति रिपोर्ट के बकाया उन्मूलन स्कीम मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन पर सभी उच्च न्यायालयों द्वारा रिपोर्टिंग के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है।

(v) अनुकल्पी विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर :- वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (तारीख 20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के बाध्यकारी पूर्व मध्यकता और निपटारे के लिए अनुबद्ध किया गया है । विहित की गई समय-सीमा द्वारा विवादों के शीघ्र समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किए गए है ।

(vi) <u>विशेष प्रकार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पहल :-</u> चौदहवें वित्त आयोग ने सरकार के राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था

जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना करने से है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि से संबंधित मामले सम्मिलित हैं तथा राज्य सरकारों को ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बढे हुए कर न्यागमन 32% से 42% वृद्धि करने के प्ररूप में उपबंधं करने के लिए अतिरिक्त राजकोषीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया है। 31.05.2022 की स्थिति के अनुसार जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों आदि के विरूद्ध अपराधों के लिए 892 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित संसद् सदस्यों/विधानसभा सदस्यों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस (10) विशेष न्यायालय नौ (09) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में एक प्रत्येक और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में दो) स्थापित किए गए हैं। सरकार ने भारतीय दंड संहिता, के अधीन बलात्संग तथा पाक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संपूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक स्कीम का और अनुमोदन किया है । आज की तारीख तक 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 363 'मात्र पाक्सो न्यायालय' सहित 842 एफटीएससी की स्थापना के लिए जुड़ गए है । स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 140 करोड रुपए जारी किए गए थे तथा वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान 160 करोड रुपए जारी किए गए है और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 134.557 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 728 एफटीएससी वर्तमान में 408 अनन्य पॉक्सो न्यायालयों सहित कार्य कर रहे हैं, जिसमें 30.06.2022 तक 1,02,344 मामलों का निपटारा किया गया।

(vii) इसके अतिरिक्त, लंबित मामलों को कम करने तथा न्यायालयों को उससे मुक्त करने के लिए सरकार ने हाल ही में विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन किया गया है ।

****

उपाबंध-1

विभिन्न न्यायालयों में सिविल और आपराधिक प्रकृति के लंबित मामलों के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2180 जिसका उत्तर तारीख 04.08.2022 को दिया जाना है के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

क्र.सं.	उच्च न्यायालयों का नाम	29.07.2022 तक लंबित		
		सिविल	आपराधिक	कुल
1	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	562067	464091	1026158
2	बंबई उच्च न्यायालय	491830	100818	592648
3	कलकत्ता उच्च न्यायालय	185983	29697	215680
4	गुवाहाटी उच्च न्यायालय	46109	11055	57164
5	तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय	222977	35835	258812
6	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	200649	34372	235021
7	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय	56226	31180	87406
8	दिल्ली उच्च न्यायालय	76846	28968	105814
9	गुजरात उच्च न्यायालय	103494	55018	158512
10	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	76529	11396	87925
1 1	जम्मू -कश्मीर और लद्दाख के लिए उच्च न्यायालय	38036	7244	45280
12	झारखंड उच्च न्यायालय	40189	45878	86067
13	कर्नाटक उच्च न्यायालय	252512	44917	297429
14	केरल का उच्च न्यायालय	167865	42368	210233
15	मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय	260371	156917	417288
16	मणिपुर का उच्च न्यायालय	4303	463	4766
17	मेघालय उच्च न्यायालय	1129	132	1261
18	पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय	283584	166529	450113
19	राजस्थान उच्च न्यायालय	443885	162315	606200
20	सिक्किम उच्च न्यायालय	138	39	177
21	त्रिपुरा उच्च न्यायालय	1380	132	1512
22	उत्तराखंड उच्च न्यायालय	24717	18435	43152
23	मद्रास उच्च न्यायालय	508187	54859	563046
24	उड़ीसा उच्च न्यायालय	136933	47311	184244
25	पटना उच्च न्यायालय	114015	105984	219999
	कुल	**4299954**	**1655953**	**5955907**

स्रोत :- राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

उपाबंध-2

विभिन्न न्यायालयों में सिविल और आपराधिक प्रकृति के लंबित मामलों के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2180 जिसका उत्तर तारीख 04.08.2022 को दिया जाना है के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

29.07.2022 की स्थिति के अनुसार देश में लंबित मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	लंबित मामले (सिविल)	लंबित मामले (आपराधिक)	जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की कुल संख्या
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप*	---	---	---
2.	आंध्र प्रदेश	411259	387754	799013
3.	तेलंगाना	335149	514503	849652
4.	अरुणाचल प्रदेश*	---	---	---
5.	असम	90497	372425	462922
6.	बिहार	498830	2925267	3424097
7.	चंडीगढ़	24080	53328	77408
8.	छत्तीसगढ	74498	329206	403704
9.	दादरा और नागर हवेली	1883	1897	3780
10.	दमण और दीव	1452	1500	2952
11.	दिल्ली	255130	1050722	1305852
12.	गोवा	25758	30812	56570
13.	गुजरात	451581	1452738	1904319
14.	हरियाणा	456170	940109	1396279
15.	हिमाचल प्रदेश	157219	320236	477455
16.	जम्मू - कश्मीर	96693	176792	273485
17.	झारखंड	91463	425535	516998
18.	कर्नाटक	870626	1001431	1872057
19.	केरल	393940	908938	1302878
20.	लद्दाख	560	460	1020
21.	लक्षद्वीप*	---	---	---
22.	मध्य प्रदेश	393397	1513720	1907117
23.	महाराष्ट्र	1548552	3461272	5009824
24.	मणिपुर	8096	4094	12190
25.	मेघालय	4468	12093	16561
26.	मिजोरम	2314	3194	5508
27.	नागालैंड	500	2385	2885
28.	ओडिशा	287910	1184435	1472345
29.	पंजाब	415150	558791	973941
30.	राजस्थान	534527	1568777	2103304
31.	सिक्किम	846	1137	1983
32.	तमिलनाडु	605821	487672	1093493
33.	पुदुचेरी	13846	19816	33662
34.	त्रिपुरा	9295	27573	36868
35.	उतार प्रदेश	1875776	8653255	10529031
36.	उत्तराखंड	45830	288264	334094
37.	पश्चिमी बंगाल	614430	2075565	2689995
कुल		10597546	30755696	41353242

* **अरुणाचल प्रदेश राज्य और लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह** संघ राज्यक्षेत्रों में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों पर डेटा एनजेडीजी के वेब-पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं।

उपाबंध-3

विभिन्न न्यायालयों में सिविल और आपराधिक प्रकृति के लंबित मामलों के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2180 जिसका उत्तर तारीख 04.08.2022 को दिया जाना है के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

29.07.2022 तक (उच्च न्यायालय-वार) लंबित मामलों के ब्यौरे

क्र.स.	उच्च न्यायालयों का नाम	5 साल से कम		5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम (5-10 वर्ष)		10 साल से अधिक		कुल
		सिविल	आपराधिक	सिविल	आपराधिक	सिविल	आपराधिक	
1	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	200560	200455	136754	92581	224753	171055	**1026158**
2	बंबई उच्च न्यायालय	260429	67465	104873	17003	126528	16350	**592648**
3	कलकत्ता उच्च न्यायालय	70272	12919	44011	7695	71700	9083	**215680**
4	गुवाहाटी उच्च न्यायालय	37491	8399	7244	2397	1374	259	**57164**
5	तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय	123668	23318	61035	8562	38274	3955	**258812**
6	आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय	107914	21222	55507	8235	37228	4915	**235021**
7	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय	43901	20020	11177	7587	1148	3573	**87406**
8	दिल्ली का उच्च न्यायालय	54150	19236	13824	5554	8872	4178	**105814**
9	गुजरात का उच्च न्यायालय	69751	36241	23216	10574	10527	8203	**158512**
10	हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय	64351	8532	9616	2490	2562	374	**87925**
1 1	जम्मू - कश्मीर और लद्दाख के लिए उच्च न्यायालय	21700	5319	10951	1430	5385	495	**45280**
12	झारखंड का उच्च न्यायालय	27481	24831	8048	8836	4660	12211	**86067**
13	कर्नाटक उच्च न्यायालय	157543	31043	48464	7364	46505	6510	**297429**
14	केरल का उच्च न्यायालय	99120	19467	53066	11617	15679	11284	**210233**
15	मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय	129083	72655	71093	43658	60195	40604	**417288**
16	मणिपुर उच्च न्यायालय	3537	400	355	24	411	39	**4766**
17	मेघालय उच्च न्यायालय	1016	131	113	0	0	1	**1261**
18	पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय	151323	95619	59883	41749	72378	29161	**450113**
19	राजस्थान उच्च न्यायालय	300944	104621	78034	24549	64907	33145	**606200**
20	सिक्किम उच्च न्यायालय	128	39	9	0	1	0	**177**
21	त्रिपुरा उच्च न्यायालय	1370	130	10	2	0	0	**1512**
22	उत्तराखंड उच्च न्यायालय	18810	13975	4435	3611	1472	849	**43152**
23	मद्रास उच्च न्यायालय	315260	46378	81626	3286	111301	5195	**563046**
24	उड़ीसा उच्च न्यायालय	83013	25404	33039	9620	20881	12287	**184244**
25	पटना उच्च न्यायालय	79292	72521	24433	13902	10290	19561	**219999**
	कुल	**2422107**	**930340**	**940816**	**332326**	**937031**	**393287**	**5955907**

स्रोत :- राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)।

उपाबंध-4

विभिन्न न्यायालयों में सिविल और आपराधिक प्रकृति के लंबित मामलों के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2180 जिसका उत्तर तारीख 04.08.2022 को दिया जाना है के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

29.07.2022 तक (राज्य-वार) लंबित मामलों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो का नाम	5 साल से कम		5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम (5-10 वर्ष)		10 साल से अधिक		कुल
		सिविल	आपराधिक	सिविल	आपराधिक	सिविल	आपराधिक	
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप*	--	--		--	--	--	--
2.	आंध्र प्रदेश	355645	364065	48750	22239	6864	1450	799013
3.	तेलंगाना	287170	467886	40542	43644	7437	2973	849652
4.	अरुणाचल प्रदेश*	--	--	--	--	--	--	--
5.	असम	79061	329964	9990	38559	1446	3902	462922
6.	बिहार	308389	1728254	119562	691555	70879	505458	3424097
7.	चंडीगढ	22634	51882	1351	1343	95	103	77408
8.	छतीसगढ	68130	307240	5774	21330	594	636	403704
9.	दादारा और नागर हवेली	1316	1677	525	157	42	63	3780
10.	दमण और दीव	1222	1317	192	137	38	46	2952
11.	दिल्ली	218757	947650	32718	93716	3655	9356	1305852
12.	गोवा	18432	27416	4952	3160	2374	236	56570
13.	गुजरात	339065	1222146	74446	125388	38070	105204	1904319
14.	हरियाणा	430356	910088	23576	29141	2238	880	1396279
15.	हिमाचल प्रदेश	133185	293862	22051	25106	1983	1268	477455
16.	जम्मू - कश्मीर	78516	144479	14347	26950	3830	5363	273485
17.	झारखंड	70048	319291	13967	89353	7448	16891	516998
18.	कर्नाटक	715398	868423	128542	115872	26686	17136	1872057
19.	केरल	356469	786281	32482	118633	4989	4024	1302878
20.	लद्दाख	514	438	45	20	1	2	1020
21.	लक्षद्वीप*	--	--	--	--	--	--	--
22.	मध्य प्रदेश	341403	1314809	45511	188056	6483	10855	1907117
23.	महाराष्ट्र	1139613	2672884	323876	527019	85063	261369	5009824
24.	मणिपुर	6742	3403	1187	606	167	85	12190
25.	मेघालय	3001	8196	1073	2691	394	1206	16561
26.	मिजोरम	2046	2942	238	237	30	15	5508
27.	नगालैंड	443	1837	48	434	9	114	2885
28.	ओडिशा	184924	743605	73997	255061	28989	185769	1472345
29.	पंजाब	396498	541337	17276	16502	1376	952	973941
30.	राजस्थान	411445	1236037	97141	274453	25941	58287	2103304
31.	सिक्किम	842	1134	4	0	0	3	1983
32.	तमिलनाडु	509965	399465	73648	72654	22208	15553	1093493
33.	पुदुचेरी	33662	33662	33662	33662	33662	33662	33662
34.	त्रिपुरा	8668	24417	575	1853	52	1303	36868
35.	उत्तर प्रदेश	1193612	5906576	390049	1581904	292160	1171645	10535946
36.	उत्तराखंड	40626	259057	4390	24759	814	4448	334094
37.	पश्चिमी बंगाल	402888	1166482	125757	507552	85785	401531	2689995
कुल		**8160685**	**23088202**	**1762244**	**4933746**	**761802**	**2821788**	**41360157**

* * **अरुणाचल प्रदेश राज्य और लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह** संघ राज्यक्षेत्रों में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों पर डेटा एनजेडीजी के वेब-पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं।

****